



कार्यालय जिला पंचायत राजनांदगांव (छ.ग.)

आदेश

क्रमांक / 17143 / CMPSY / स्था. / जिपं / 2017-18

राजनांदगांव दिनांक 01/03/2018

छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक/प्रग्रावि/22/492ए/2016/2327 दिनांक 04.07.2016 अनुसार पंचायत संचालनालय (छ0ग0) से प्राप्त निर्देशानुसार मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना (CMPSY) अंतर्गत जनपद पंचायत संसाधन केन्द्र (BPRC) के लिए स्वीकृत संविदा पदों पर अधोलिखित उम्मीदवारों को दिनांक 31.03.2018 तक के लिए उनके नाम के सम्मुख लिखे पदस्थापना स्थल पर संविदा नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन किया जाता है:-

क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पत्र व्यवहार का पता	वर्ग	पदस्थापना स्थान
1	2	3	4	5	6
1	मो. इरफान खान	मो. ईस्लाम खान	म.नं. 97, वार्ड नं. 21, शीतला पारा, नवापारा राजीम (छ.ग.)	अनारक्षित मुक्त	जनपद पंचायत छईखदान
2	श्री विकास वर्मा	श्री कामता प्रसाद	क्वा. नं. 04/बी. गली नं. 36, सेक्टर नं. 10, सिविक सेंटर, भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)	अनारक्षित मुक्त	जनपद पंचायत अं.चौकी
3	कु. एकेश्वरी	श्री ढालसिंह	क्वा. नं. 86/जी. रिसाली सेक्टर, भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)	अनारक्षित महिला	जनपद पंचायत डोंगरगढ़
4	कु. खेमलता साहू	श्री गोविंदराम साहू	मं. नं. 378, ग्राम व पोस्ट धनेली, तह. गुरुर, जिला बालोद (छ.ग.)	अनारक्षित महिला	जनपद पंचायत डोंगरगांव
5	श्रीमती बबीता मंडावी	श्री विजय कुमार मंडावी	रामनगर (मोतीपुर) वार्ड नं. 08, तह. व जिला राजनांदगांव (छ.ग.)	अ.ज.जा. मुक्त	जनपद पंचायत राजनांदगांव
6	श्रीमती सविता धुव	श्री महेन्द्र कुमार धुव	श्रीमती सविता धुव C/o राधेश्याम वर्मा, (सेंटमेरी स्कूल के पीछे) सेंटमेरी कालोनी पटपर, तह. भाठापारा, जिला बलौदा बाजार भाठापारा (छ.ग.)	अ.ज.जा. मुक्त	जनपद पंचायत मानपुर
7	अनुराधा	श्री गौतम	क्वा. नं. 02/डी. सडक 34, सेक्टर 01, भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)	अ.ज.जा. महिला	जनपद पंचायत मोहला

प्रमाणित किया जाता है कि नियुक्ति हेतु आरक्षण नियम का पालन किया गया है।

नियम एवं शर्तें :-

- संविदा पर प्रतिमाह रु. 15638.00 एकमुश्त वेतन की पात्रता होगी।
- संविदा नियुक्ति 31.03.2018 तक के लिए होगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर एवं शासन से पद निरंतरता की स्वीकृति प्राप्त होने पर संविदा नियुक्ति पुनः बढ़ाई जावेगी।
- यह नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थायी है।
- संविदा अवधि में 18 दिनों के अनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा।
- संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
- संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
- सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु-लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।